352

पत्रांक – पृ6 – गैल–01/2000 – 3977
बिहार सरकार,
खाद्य आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग

प्रेषक :

एस. के. चौधरी,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी/उपायुक्त
(पटना छोड़कर)

पटना, दिनांक 16/9/Sep/2000

विषय :- एल.पी.जी. व्यापार करने के लिए जिला दंडाधिकारी से अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के संबंध में ।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि बिहार व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञप्ति एकीकरण) आदेश 1984 जिसे जी.एस.आर. 47 दिनांक 17-10-85 द्वारा संशोधित किया गया है, के प्रावधानों के अन्तर्गत एल.पी.जी. को आवश्यक वस्तु की अनुसूची में सम्मिलित किया गया है । उक्त आदेश में व्यावहारिकता के दृष्टिकोण से एल.पी.जी. के लिए कोई स्टोरेज लिमिट तय नहीं है । फलस्वरूप माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस.एल.पी. संख्या-13870/1987 एवं माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा क्रिमीनल मिसलेनियस केस संख्या 3992/2000 में पारित आदेश के द्वारा यह सिद्धांत निरूपित किया गया है कि एल.पी.जी. के मामले में बिहार व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञप्ति एकीकरण) आदेश 1984 को लागू नहीं माना जा सकता । इस संबंध में विधि विभाग की राय भी प्राप्त कर ली गयी है । तदनुसार यह स्पष्ट किया जाता है कि एल.पी.जी. वितरकों के लिए अनुज्ञप्ति अवधारण आवश्यक नहीं है और उस पर बिहार व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञप्ति एकीकरण) आदेश 1984 के प्रावधान लागू नहीं है । अतः इस आलोक में कृपया अग्रेत्तर आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाए ।

विश्वासभाजन,
(हस्ताक्षर) 16.9.2000
(एस. के. चौधरी)
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक 3977 /पटना, दिनांक 16th सितम्बर 2000
प्रतिलिपि- जिला पदाधिकारी, पटना को उनके पत्रांक 2172 दिनांक 5-8-2000 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(हस्ताक्षर) 16.9.2000
(एस. के. चौधरी)
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक 3977 /पटना, दिनांक 16th Sept. 2000
प्रतिलिपि- उप महाप्रबंधक -सह- राज्य संयोजक, भारतीय तेल निगम, मौर्यालोक, पटना को उनके पत्र बी.एस.ओ./एल.पी.जी. दिनांक 16-8-2000 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

राज्य तेल संयोजक से अनुरोध है कि कृपया वे अपने स्तर से सभी पेट्रोलियम कम्पनियों को भी इस पत्र में उल्लेखित तथ्यों से अवगत करा दें ।

(हस्ताक्षर) 16.9.2000
(एस. के. चौधरी)
सरकार के सचिव ।

18. All Marketing Officer.
19. All Block Supply Officer.
20. All Police Inspector (Food).
21. All Supply Inspector.

2. This notification will come into force with immediate effect and Previous notification/order in this regard may kindly be treated as cancelled.

[Pra 6 Gas-01/2000]

By order of the Governor of Bihar

(Sd.) ILLEGIBLE,
Deputy Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय लेखन सामग्री भंडार एवं प्रकाशन, पटना द्वारा प्रकाशित तथा अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण); 413—लाईनो—571—10—